UPCH040051872019

न्यायालय- अपर सिविल जज (सी0 डि0), चित्रकूट

(इला चौधरी अपर सिविल जज (सी0 डि0), जे0 ओ 0 कोड-2042)

सरकार बनाम छोटा उर्फ देवा उर्फ देव कमल

मुकदमा सं० –932/2019
एन 0 सी0 आर 0 नं0-172/2018
धारा- 323, 504, 506 भा० दं० सं०
थाना- कर्वी , जनपद- चित्रकूट।

निर्णय

(आज दिनांक 18.07.2024 को घोषित)

1- थाना कर्वी जिला चित्रकूट की पुलिस द्वारा अभियुक्त **छोटा उर्फ देवा उर्फ देव कमल** के विरुद्ध विवेचनोपरान्त एन 0 सी0 आर 0 नं0-172/2018, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा० दं० सं० का आरोप पत्र वास्ते विचारण प्रेषित किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा की पत्नी पानी भरने जाती है तो मुहल्ला के छोटा उर्फ देवा पुत्र रेवती रमण पानी भरने से मना करता है और गाली गलौज करता है। दिनांक 04.05.2018 को 1 बजे दिन में जब मैं देवा उर्फ छोटा से पानी टंकी पर उलहना देने पर वह अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर मुझे लाठी डंडा व लात घूसों से पटककर-मारपीटा। जब मेरी पत्नी व मेरी मां बचाने गई तो उनसे भी गाली गलौज किया और तमाम लोगों के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए तीनों भाग गये। मेरे पैर, पीठ व कान में चोट आई।

3- वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा एन 0 सी0 आर 0 नं0-172/2018 अन्तर्गत धारा-323,504,506 भा०दं०सं० कायम हुई। अभियुक्त के विरूद्ध दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा साक्षी का साक्ष्य अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. अंकित किया। बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार पाए जाने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा-323,504,506 भा० दं० सं० न्यायालय में प्रेषित किया।

4- अभियुक्त को सम्मन भेजा गया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी जमानत करवाई गई। न्यायालय में अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे अंतर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० आवश्यक अभियोजन अभिलेखों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई। तदोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 18.12.2021 को अंतर्गत धारा-323,504,506 भा० दं० सं० विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया और विचारण की मांग की। इसके उपरान्त अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

Date -18-07-2024

(Ila Chaudhary)
Addl. Civil Judge (S.D.)
Chitrakoot (U.P.)
J.O. Code - 2042

Digitally signed by ILA CHAUDHARY
Date: 2024.07.29 12:56:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Chitrakoot

5- अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में साक्षी पी० डब्ल्यु० -1 के रूप में वादी मुकदमा जुगल किशोर को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.05.2024 को अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को अंतर्गत धारा 294 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया।

6- अभियोजन साक्ष्योपरान्त दिनांक 10.06.2024 को अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा आरोपों को गलत बताया गया, झूठा मुकदमा चलना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार किया गया। अतः पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

7- अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक रुप से परिशीलन किया।

8- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त छोटा उर्फ देवा उर्फ देव कमल द्वारा दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी को लात-घूसों व लाठी डंडों से मारा गया, जिससे उसके पैर, पीठ व कान में चोट आई है, जिसे सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

9- अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए केवल एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है।

10- न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से साबित कराने में सफल हुआ है?

11- इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी (पी०डब्ल्यु०-1) **जुगल किशोर** के साक्ष्य का परिशीलन करने से स्पष्ट है कि (पी० डब्ल्यु-1) वादी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये अभिकथन किया है कि " घटना दिनांक 04.05.2018 दिन के करीब एक बजे की है। गांव में पानी की टंकी में पानी भरने को लेकर मोहल्ले के ही छोटा उर्फ देवा उर्फ देव कमल ने गाली गलौज दिया। जब मैने मना किया तो उसने मेरे साथ लात-घूंसो से मारपीट कर दी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। पूरी घटना की सूचना मैने थाने पर दी थी। जहां पर मेरी NCR लिख ली गयी। NCR कॉपी पत्रावली पर मेरे सामने है, जो मेरे द्वारा पंजीकृत करायी गयी थी। इसमें वही लिखा है जो मैने लिखाया था, जिस पर (प्रदर्श क-1) अंकित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश से विवेचना हुई थी।

12- अभियुक्त की ओर से इस (पी०डब्ल्यु०-1) **जुगल किशोर** से **जिरह** किये जाने पर इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि "घटना वाले दिन पानी की टंकी पर और लोग भी पानी भर रहे थे, जिसमें कई महिलाएं भी थी। उन्हीं मे आपस में गाली-गलौज हुआ था। मैने छोटा उर्फ देवा को किसी को भी गाली गलौज करते नहीं देखा। उसी समय लोगो में मारपीट होने लगी। उसने मारपीट नहीं की। लोगों के कहने व बहकावे में आकर मैने थाने पर सूचना दे दी थी। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं। थाने पर ही एक व्यक्ति ने एक कागज पर मेरे हस्ताक्षर बनवा लिये थे। उसमें उसने क्या लिखा था, मुझे जानकारी नहीं है। दरोगा जी कभी भी मेरा बयान लेने नहीं आये। घटना के बाद मैं घर पर अपने काम से बिजी हो गया था। मैं

Date -18-07-2024

(Ila Chaudhary)
Addl. Civil Judge (S.D.)
Chitrakoot (U.P.)
J.O. Code - 2042

अब किसी को भी गवाह के रूप में पेश नहीं करना चाहता हूं। हम दोनों पक्ष आपस में पड़ोसी हैं और हम लोगों का राजीनामा हो गया है।"

13- अभियोजन पक्ष द्वारा पुनः इस साक्षी से **जिरह** की गई और साक्षी को धारा 161 दं० प्र० सं० का बयान पढ़कर सुनाकर पूछा गया तो इस साक्षी ने अपनी पुनः परीक्षा में बताया कि "यह कहना सही है कि हम दोनों पक्षों का समाज के सम्भ्रांत लोगों के समझाने पर राजीनामा हो गया है। गवाह को धारा 161 दं० प्र० सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसके द्वारा कहा गया कि मैने ऐसी कोई बात दरोगा जी को नहीं बतायी , उन्होंने कैसे लिख लिया मैं नहीं बता सकता।"

14- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियोजन द्वारा केवल एक साक्षी ही परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षी पी० डब्ल्यु-1 जुगुल किशोर ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, उससे जिरह की गयी तो उसने अपनी जिरह में अभियुक्त द्वारा मारपीट करने, गाली-गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना से इंकार किया है।

16- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि इनके आधार पर ही अभियुक्त को दोषी करार दिया जाये , लेकिन तथ्य के साक्ष्य द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने की स्थिति में मात्र इन लिखित साक्ष्यों की निष्पादन की सत्यता को स्वीकार हो जाने के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

17- इन उपरोक्त साक्ष्यों के समग्रतः से देखने पर अभियोजन कथानक समर्थित नहीं होते है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है , जिसके आधार पर अभियोजन कथन का समर्थन होता हो।

18- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 तथा आपराधिक विधि शास्त्र (Criminal jurisprudence) के मुख्य सिद्धात "निर्दोषितः की अवधारणा "(Presumption of innocence) के अनुसार अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति -युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

19- अपराधिक मामलों में अभियोजन कथानक को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। निष्कर्षतः अभियुक्त छोटा उर्फ देवा उर्फ देव कमल आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त छोटा उर्फ देवा उर्फ देव कमल को मुकदमा सं०-932/2019, एन0सी0आर0 नं0-172/2018, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा० दं० सं०, थाना- कर्वी, जिला - चित्रकूट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

Date -18-07-2024

(Ila Chaudhary)
Addl. Civil Judge (S.D.)
Chitrakoot (U.P.)
J.O. Code - 2042

2. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है तथा जमानत पर है। उसके जमानत निरस्त किए जाते है तथा प्रतिभूग को उसके दायित्व के निर्वहन से निरमुक्त किया जाता है।

3. उक्त उल्लेखित अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि दं0प्र0 सं0 की धारा 437 A के अनुपालन में बीस हजार रूपये की एक -एक जमानत व इतनी ही धनराशि का एक–एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करे तथा अपील की स्थिति में ,यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त उल्लेखित को तलब किया जाता है तो अभियुक्त आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

दिनांक- 18.07.2024

(Ila Chaudhary)
Addl. Civil Judge (S.D.)
Chitrakoot (U.P.)
J.O. Code - 2042

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 18.07.2024

(Ila Chaudhary)
Addl. Civil Judge (S.D.)
Chitrakoot (U.P.)
J.O. Code - 2042

Date -18-07-2024

(Ila Chaudhary)
Addl. Civil Judge (S.D.)
Chitrakoot (U.P.)
J.O. Code - 2042